राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

<u>कोर्स रिपोर्ट</u>

इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राईम

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में दिनांक 11.09.2017 से 15.09.2017 तक **"इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राईम"** विषय पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कोर्स का आयोजन किया गया। इस कोर्स में राजस्थान पुलिस के 08 पुलिस निरीक्षक एवं 15 उप निरीक्षक पुलिस, कुल 23 अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण के प्रारम्भिक सत्र में श्री जी.एल. शर्मा, आई.जी.पी. (सेवानिवृत) ने संगठित अपराध क्या है? संगठित अपराधों का परिचय, संगठित अपराधों के प्रकार पर विस्तृत चर्चा की। श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आर.पी.ए., जयपुर ने मादक पदार्थो की तस्करी एवं नारको टेरेरिज्म के बारे में बताते हुए, इस प्रकार के अपराधों में अनुसंधान विधि पर व्याख्यान दिया। श्री निशीत दीक्षित, एडवोकेट व साइबर विशेषज्ञ द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से किये जाने वाले संगठित अपराधों में एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से की जाने वाली धोखाधड़ी, बैक संबंधी अपराधों के लिए ध्यान रखने योग्य एस.ओ.पी. एवं इस प्रकार के अपराधों में साक्ष्य संकलन के बारे में बताया। श्री अशोक गुप्ता, पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), जयपुर ने संगठित अपराधों को परिभाषित करते हुए इसके वर्तमान स्वरूप पर प्रतिभागियों को जानकारी दी। श्री दिलीप सैनी, सहायक निदेशक (सी.ओ.ई. एवं विशिष्ट कोर्स), आर.पी.ए., जयपुर ने संगठित अपराधों के अनुसंधान व केस स्टडीज के बारे में जानकारी दी।

श्री गिरवर सिंह राठौड़, आर.टी.एस. (सेवानिवृत) ने अचल सम्पति में संगठित अपराध के विशेष संदर्भ और धन की सुरक्षा के बारे में बताया। श्री एम.एम. अत्रे, आई.जी.पी. (सेवानिवृत) ने धोखाधड़ी एवं अन्य प्रकार के संगठित अपराधों की विस्तृत व्याख्या करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने के दौरान ध्यान में रखी जाने वाली बातों के बारे में बताते हुए गिरफ्तारी की प्रक्रिया एवं नवीनतम संशोधनों के बारे में बताया। श्री आर.एस.शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (सेवानिवृत्त), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर ने विभिन्न प्रकार के संगठित अपराधों में डिजिटल साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के परीक्षण के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री महेश कुमार, उप निरीक्षक पुलिस, आर.पी.ए., जयपुर ने संगठित अपराध, संयुक्त दायित्व का सिद्धान्त एवं नवीनतम संशोधनों सहित जानकारी दी। श्री ओमप्रकाश, उप अधीक्षक पुलिस (सेवानिवृत) ने संगठित अपराधों में बच्चों एवं महिलाओं की तस्करी एवं महिलाओं एवं लड़कियों के दैहिक व्यापार के संबंध में विस्तृत कानूनी प्रावधानों के बारे में अवगत कराते हुए इनकी रोकथाम के संबंध में जानकारी दी। डॉ. सुमन राव, एपीपी, आर.पी.ए., जयपुर ने संगठित अपराधों में अभियोग व धारा 401, 402 भा.द.स. के संबंध में जानकारी दी।

श्रीमती ज्योति शर्मा, सहायक जनरल मैनेजर, सेबी, जयपुर ने सुरक्षा बाजार की बुनियादी अवधारणा, सेबी द्वारा जाँच, प्रवर्तन, गैर कानूनी व्यापार और धन जुटाने की अवैध योजना पर व्याख्यान दिया। श्री हेमन्त नाहटा, एडवोकेट जयपुर ने विमुद्रीकरण का वर्तमान परिपेक्ष्य में क्या प्रभाव है और आर्थिक अपराधों में इसके प्रभाव के बारे में जानकारी दी। श्री मुकेश यादव, उप अधीक्षक पुलिस, ए.सी.बी., जयपुर ने मोबाईल फोन व इन्टरनेट के उपयोग से संगठित अपराधों का पता लगाने, साक्ष्य एकत्रित करने एवं इस प्रकार के अपराधों में अनुसंधान के दौरान ध्यान देने योग्य बातों के बारे विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। श्री विवेक श्रीवास्तव, अधीक्षक सेन्ट्रल कस्टम एण्ड सर्विस टैक्स डिपार्टमेन्ट, जयपुर ने मनी सर्कुलेशन एवं मनी लॉण्डरिंग को परिभाषित करते हुए इसके खतरों एवं इस प्रकार के संगठित अपराधों के अनुसंधान के दौरान ध्यान रखी जाने वाली प्रमुख जानकारी प्रदान की। श्री आलोक कुमार सैनी, पुलिस निरीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने संगठित अपराधों की रोकथाम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राजपासा अधिनियम एवं अभ्यस्त अपराधी अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया।

प्रशिक्षण के समापन सत्र में मुख्य अतिथि श्री बीजू जॉर्ज जोसेफ, महानिरीक्षक पुलिस, ए.टी.एस., जयपुर संगठित अपराधों की वर्तमान स्थिति को रेखांकित करते हुए अनुसंधान अधिकारियों को अनुसंधान के दौरान ध्यान रखने योग्य प्रमुख जानकारी दी एवं प्रतिभागियो को सहभागिता प्रमाण-पत्र वितरण किये।